

F.No. 22011/4/2007-MPR (Vol.III)  
Government of India  
Ministry of Chemicals & Fertilizers  
Department of Fertilizers

Shastri Bhawan, New Delhi  
The 17<sup>th</sup> November 2009

To

The Agriculture Production Commissioner/  
Secretary (Agriculture)  
Director of Agriculture of all States/UTs.

Sub: Intimation to the State Governments regarding companies excluded from the Concession Scheme of decontrolled Phosphatic and Potassic fertilizers with immediate effect.

\*\*\*\*

Sir,

I am directed to say that the as per the reports submitted by PDIL, the following SSP manufacturing units have been found to be closed for their production activity for a considerable period of time.

- (i) Rewati Minerals & Chemicals Ltd., Heerapur, Sagar, Madhya Pradesh
- (ii) Pragati Fertilizers Ltd., Vishakapatnam, Andhra Pradesh.
- (iii) Kashi Uravark Ltd., Sultanpur UP

2. The above said units were requested by Department of Fertilizers vide letters dated 4.7.2009, 19.8.2009 and 1.9.2009 to intimate as to why they should not be excluded from the concession scheme. The companies/units did not respond to Department of Fertilizers in respect of the above.

3. The matter has been examined in the Department and accordingly the units whose names are mentioned in para 1 above are hereby excluded from the Concession Scheme with immediate effect.

4. This issues with the approval of the competent authority.



(Varinder Gupta)

Under Secretary to the Government of India  
Tel. & FAX: 23388536

1. Controller of Accounts/P&AO, Department of Fertilizers.
2. Director (Fin.)/AFA/Section Officer (Fin.), Department of Fertilizers.
3. AD (Accounts), Concession Wing.
4. FAI, 10 Shahid Jit Singh Marg, New Delhi
5. NIC
6. M/s Rewati Minerals & Chemicals Ltd., Heerapur, Sagar, Madhya Pradesh
7. M/s Pragati Fertilizers Ltd., Vishakapatnam, Andhra Pradesh.
8. M/s Kashi Uravark Ltd., Sultanpur UP
9. Director (FA), Department of Fertilizers, Udyog Bhawan, New Delhi



(Varinder Gupta)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 17 नवम्बर, 2009

सेवा में,

कृषि उत्पादन आयुक्त/  
सचिव (कृषि)  
सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कृषि निदेशक

विषय: नियंत्रणमुक्त फॉस्फेट और पोटेशियुक्त उर्वरकों की रियायत योजना से तत्काल प्रभाव से बाहर निकाली गई कंपनियों के संबंध में राज्य सरकारों को सूचना

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पीडीआईएल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि निम्नलिखित एसएसपी उत्पादक इकाइयों ने काफी समय से उत्पादन गतिविधियां बंद कर दी हैं।

- (i) रेवती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स लि0, हीरापुर, सागर, मध्य प्रदेश
- (ii) प्रगति फर्टिलाइजर्स लि0, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश
- (iii) काशी उर्वरक लि0, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश

2. उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 4.7.2009, 19.8.2009 और 1.9.2009 के पत्रों के जरिए उपर्युक्त इकाइयों से यह सूचना देने का अनुरोध किया गया था कि उन्हें रियायत योजना से बाहर क्यों न निकाला जाए। इन कंपनियों/इकाइयों ने उपर्युक्त के संबंध में उर्वरक विभाग को कोई उत्तर नहीं दिया।

3. इस मामले की विभाग द्वारा जांच की गई है और तदनुसार उपर्युक्त पैरा-1 में उल्लिखित इकाइयों को रियायत योजना से एतद्वारा तत्काल प्रभाव से बाहर निकाला जाता है।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

*वीरेन्द्र गुप्ता*

(वीरेन्द्र गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष व फ़ैक्स: 23388536

प्रतिलिपि:

1. लेखा नियंत्रक/ पीएओ, उर्वरक विभाग।
2. निदेशक (वित्त)/एएफए/अनुभाग अधिकारी (वित्त), उर्वरक विभाग।
3. सहायक निदेशक (लेखा), रियायत विंग।
4. एफएआई, 10 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली।
5. एनआईसी।
6. मैसर्स रेवती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स लि0, हीरापुर, सागर, मध्य प्रदेश।
7. मैसर्स प्रगति फर्टिलाइजर्स लि0, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश।
8. मैसर्स काशी उर्वरक लि0, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश
9. निदेशक (एफए), उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।